WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

MAY 2023

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- टीडीएस जैसा साक्ष्य आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा
- टीडीएस से छूट का गलत दावा महंगा पड़ेगा
- आईटीआर- 1 व 4 के ऑफलाइन फॉर्म जारी, अपने लिए सही चुनें
- जीएसटी चोरी रोकने को बनेगा व्यापारियों का मास्टर डाटा बैंक
- जीएसटी कारोबारियों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ
- आंकड़ो के विश्लेषण से जीएसटी चोरी रोकेगी सरकार, अनुपालन में होगा सुधार
- इं. संजय कुमार जैन बने आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित
- यूपी में गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी
- कैबिनेट मीटिंग में खेल नीति को दी गई मंजूरी खिलाड़ियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
- ग्रामीण स्तर पर बनाए जाएंगे स्टेडियम
- योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास:
- टेक्सटाइल पार्क से बदल जाएगा कपडा क्षेत्र
- ई- श्रम पोर्टल से प्रवासियों के परिवार को भी लाभ
- एमएसएमई को सरकार ने दी बड़ी राहत
- अब तेजी से विकसित होंगी नई टाउनशिप, सस्ते होंगे भवन- भूखंड
- निवेश मित्र पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!
- DGFT issues operational guidelines for AA &EPCG holders to apply for amnesty scheme
- RBI issues draft guidelines to regulate penal charges on loans
- Ministry of Labour and Employment Notification

टीडीएस जैसा साक्ष्य आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा

बदलाव: दान राशि पर कर छूट पाने के लिए प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा

यदि आप किसी धर्मार्थ संस्था या धार्मिक संस्थान और गैर सरकारी संगठनों को दान करते हैं तो आयकर अधिनियम 80 के तहत कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय संबंधित संस्थान से जारी हुए दान प्राप्ति का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। इसके बगैर कर छूट नहीं मिलेगी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि संस्थाओं की श्रेणियों के अनुसार 50 से 100 फीसदी कर छूट प्राप्त की जा सकती है।

पुरानी कर व्यवस्था में ही लाभ:

दान की राशि पर कर छूट का दावा सिर्फ पुरानी कर व्यवस्था के तहत की किया जा सकता है। इसलिए आयकरदाताओं को वित्त वर्ष की शुरुआत में ही इस व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा। गौरतलब है कि हाल में करीब 8000 लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस दिया था क्योंकि उनके दान और आय में मेल नहीं था।

आयकर विभाग को ये ब्योरा देना होगा

फॉर्म 10बीई को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड या डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जा सकता है। फॉर्म में दान कर्ता का नाम, पता, पैन नंबर और आधार संख्या का होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टांप होना भी जरूरी है। फॉर्म को उस वित्तीय वर्ष के 31 मई को या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए. जिस वर्ष में दान दिया हो।

SHIVANGI INTERNATIONAL

Dealing in:

Trading, Real Estate, Mining, Manufacturing,
Hospitality, Distribution & Marketing

A-216, 2nd Floor, Apex Meerut Mall, Delhi Road, Meerut
Tel. 91-121-2517723, Mobile: 91-9997041110

छूट का दावा करने के लिए श्रेणियों में विभाजित

आयकर विभाग ने 100 या 50 फीसदी कर छूट का दावा करने के लिए ट्रस्ट, संस्थानों को श्रेणियों में विभाजित किया है। किसी धार्मिक संस्था या चैरिटेबल संस्था को दान करने पर 50 फीसदी की कर छूट प्राप्त की जा सकती है। वहीं, सामाजिक कार्यों या समाज कल्याण से जुड़ी सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी संस्था या धर्मार्थ संस्थान के लिए यह सीमा 100 फीसदी है।

जानकारी देनी पड़ेगी

आयकर नियमों के अनुसार, किसी भी धर्मार्थ या धार्मिक संस्था अथवा एनजीओ को पूरे वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त दान की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। साथ ही दान देने वाले व्यक्ति को फॉर्म 10 बीई प्रमाणपत्र जारी करना होता है। इससे विभाग सुनिश्चित करता है कि संस्था द्वारा प्राप्त दान और आयकर दाता द्वारा किया गया दावा टैक्स छूट से मेल खाते है या नहीं। इसलिए आईटीआर दाखिल करते समय कर छूट का सबूत जरूरी है।

नकद दान करने पर कटौती का लाभ नहीं

करदाता नकद, चेक या ऑनलाइन तरीके से दान की गई रकम के लिए कर छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि दो हजार रुपये से अधिक नकद दान पर छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ चेक या आनलाइन भुगतान के लिए आयकर विभाग छूट की अनुमति देता है।

टीडीएस से छूट का गलत दावा महंगा पड़ेगा

पिछले एक साल में ब्याज दरें बढ़ने से ज्यादातर लोग सावधि जमा यानी एफडी खुलवा रहे हैं। बचत खाते पर मिलने वाले सालाना ब्याज पर टीडीएस न कटे इसके लिए फॉर्म 15 जी और 15 एच भरना होता है। लेकिन इन्हें भरते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। जानकारी गलत होने पर जुर्माना लग सकता है।

प्रावधान है कि एफडी या बचत खाते पर ब्याज अगर अगर दस हजार से अधिक होता है तो बैंक स्रोत पर कर यानी टीडीएस काटते हैं। एफडी पर छोटी या लंबी अवधि के तहत होने वाले मुनाफे

पर भी टीडीएस लगता है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही फॉर्म 15 जी या 15 एच को भरकर टीडीएस से बच सकते हैं।

गलत जानकारी देने पर जुर्माना तो लगता ही है, जेल भी जाना पड़ सकता है। फॉर्म 12बीबीए दाखिल कर आप रिटर्न दाखिल करने से छूट का दावा भी कर सकते हैं। कर सलाहकार के.सी. गोदुका का कहना है यदि फॉर्म 15जी या 15एच जमा करने के बाद आय कर सीमा के दायरे में आ जाए तो सूचना बैंक को देनी होगी ताकि वह आपकी ब्याज आय पर टीडीएस काट सके।

कौन भर सकता है आय का घोषणापत्र

जिन लोगों की वार्षिक आय नए वित्त वर्ष में बुनियादी छूट सीमा से कम होती है और जिन पर कोई आयकर नहीं बनता, वह इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ऐसे करदाताओं को पैन संख्या के साथ फॉर्म 15जी या 15एच में घोषणापत्र जमा करना होता है।

फॉर्म 15 जी और 15 एच में क्या है अंतर

करदाताओं को ब्याज, लाभांश, किराया और बीमा कमीशन पर टीडीएस कटाने से छूट मिलती है। फॉर्म 15 जी और 15 एच में इसका खुलासा करना होता है। फॉर्म 15 जी 60 साल से कम उम्र के सभी लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए होता है। वरिष्ठ नागरिको को फार्म 15 एच जमा करना होता है।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

आईटीआर- 1 व 4 के ऑफलाइन फॉर्म जारी, अपने लिए सही चुनें

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 या वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने को ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी किए हैं। अब जो भी आयकरदाता आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म के जरिये अपना रिटर्न ऑफलाइन भरना चाहते हैं, वे भर सकते हैं। आयकर विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म को भरने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक्सेल की सुविधा दी है। आयकरदाता इसकी मदद से न सिर्फ अपनी कर देनदारी का आकलन कर सकते हैं बल्कि बिना सीए या विशेषज्ञ के ही अपना रिटर्न फॉर्म भी भर सकते हैं।

किसके लिए हैं ये फॉर्म

- **आईटीआर-1 या सहज फॉर्म :** वैसे आयकरदाता जिनकी सालाना आय 50 लाख से अधिक नहीं है। इसमें वेतन से आय, एक मकान की संपत्ति, अन्य स्रोत और 5,000 रुपये तक की कृषि आय आती है।
- **आईटीआर-4 या सुगम फॉर्म:** व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों व कंपनियों (एलएलपी के अलावा) के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख तक है। इसमें व्यवसाय व पेशे से आय शामिल है। गणना आयकर की धारा 44एडी, 44एडीए या 44एई व 5,000 रुपये की कृषि आय के तहत होती है।

विभाग की वेबसाइट से करना होगा डाउनलोड

आयकरदाताओं को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। यह फॉर्म एक्सेल और जावा यूटिलिटी दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध है। फॉर्म भरने के बाद उसे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

- वेतनभोगियों के आसानी से रिटर्न भरने के लिए अपने नियोक्ताओं से फॉर्म-16 की जरूरत पड़ती है। नियोक्ता के लिए फॉर्म-16 जारी करने की अंतिम तारीख 15 जून, 2023 है।

फॉर्म में हुआ ये बदलाव: आईटीआर फॉर्म में इस साल ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। फिर भी, एक बड़ा बदलाव हुआ है। इसके तहत अब आयकरदाता को क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट लेनदेन से से जुड़ी जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने आयकर कानूनों में संशोधन कर क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट को टैक्सेबल बना दिया है।

फॉर्म भरने के बाद जरूर करें सत्यापन

रिटर्न भरते समय सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें। अगर आप आईटीआर भरते समय गलत फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसे दोषपूर्ण रिटर्न माना जाता है। इसके अलावा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आईटीआर भरते समय याद रखें कि एक बार रिटर्न फॉर्म जमा करने के बाद इसे सत्यापित करना अनिवार्य है। आपके आईटीआर को आयकर विभाग तब तक प्रोसेस नहीं करेगा, जब तक इसे आपकी ओर से सत्यापित नहीं किया जाता है।

-अतुल गर्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंट

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

जीएसटी चोरी रोकने को बनेगा व्यापारियों का मास्टर डाटा बैंक

राज्यकर विभाग जीएसटी चोरी रोकने के लिए पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों का नए सिरे से डाटा बैंक बनाने जा रहा है बड़े करदाताओं का मास्टर डाटा बैंक बनाकर उनके द्वारा जमा किए जाने वाले जीएसटी की स्क्रूटनी की जाएगी, जिससे टैक्स चोरी पकड़ी जा सके। इससे पहले मूल्य संवर्धित कर (वैट) में ऐसी व्यवस्था लागू थी, लेकिन जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद डाटा बैंक बनाने का काम बंद कर दिया गया था।

राज्यकर मुख्यालय की ओर से इस संबंधं में सभी जोन के एडिश्नल कमिश्नर ग्रेड वन के साथ संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और सहायक आयुक्त को दिशा- निर्देश भेज दिया गया है। दरअसल शासन द्वारा राजस्व वसूली के लिए सभी विभागों को लक्ष्य दिया जाता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए विभाग द्वारा बड़े करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की प्रभावी तरीके से छानबीन करने का प्रावधान है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ऐसे बड़े करदाताओं का कोई भी मास्टर डाटा बैंक विकसित नहीं किया गया है। इसके चलते ऐसे करदाताओं द्वारा दाखिल किए जा रहे रिटर्न की स्क्रूटनी के प्रभावी अनुश्रवण, टैक्स ऑडिट व प्रवर्तन कार्यो में मुश्किलें आती है। इसके मददेनजर विभाग ने हर वित्तीय वर्ष में दाखिल होने वाले रिटर्न के प्रभावी छानबीन के लिए एक दीर्घकालीक योजना बनाने का फैसला किया है। इसके तहत ही बड़े व्यापारियों का डाटा बैंक तैयार किया जाना है

जीएसटी कारोबारियों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में पंजीकृत कारोबारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। सरकार जल्द इसके लिए राष्ट्रीय खुदरा कारोबार नीति की घोषणा कर सकती है। प्रस्तावित नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। साथ ही, वे अधिक कर्ज ले सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, इस नीति में सस्ते कर्ज, खुदरा कारोबार के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। वितरण चेन के लिए कौशल विकास और श्रम उत्पादकता में सुधार व एक प्रभावी परामर्श और शिकायत निपटान तंत्र का प्रावधान भी हो सकता है।

सिंगल विंडो मंजूरी की सुविधा: अधिकारी ने कहा, प्रस्तावित नीति के तहत एक केंद्रीकृत और कंप्यूटरीकृत निरीक्षण प्रणाली के अलावा व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी सिस्टम विकसित किया जा सकता है। भारत वैश्विक स्तर पर रिटेल क्षेत्र में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गंतव्य है। जीएसटी से अब हर माह औसतन 1.40 लाख करोड़ रुपये का संग्रह हो रहा है। हालांकि, यह अब भी आबादी और कारोबार के लिहाज से कम है। केवल 1.40 करोड़ लोग ही जीएसटी में पंजीकृत हैं। साथ ही, पिछले वित्त वर्ष में 1.01 लाख करोड़ की चोरी भी पकड़ी गई थी। ऐसे में सरकार चोरी को रोकने, जीएसटी संग्रह को बढ़ाने के लिए तमाम उपाय कर रही है।

आंकड़ो के विश्लेषण से जीएसटी चोरी रोकेगी सरकार, अनुपालन में होगा सुधार

जीएसटी चोरी रोकने के लिए अब डाटा एनालिटिक्स यानी आंकड़ों के विश्लेषण का उपयोग हो रहा है। इसके जरिये जीएसटी अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर्याप्त जीएसटी का भुगतान कर रही है या नहीं। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने शुरुआती चरण में ही चोरी को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं, ताकि अनुपालन में सुधार हो सके।

THE FASTEST GROWING INSTITUTION

CAEHS

College of Applied Education & Health Science

Gangotri, Roorki Road, Meerut

Phone no.: 0121-2610931, 2610200, 2610033

Admission Helpline: 9997030564, 9258051445

Email: info@caehs.edu.in

Website: www.caehs.edu.in

अधिकारी ने कहा, किसी क्षेत्र के लिए 'एंड-टू-एंड विश्लेषण और आपूर्ति श्रृंखला में कर भुगतान का आकलन हो रहा है। डाटा विश्लेषण में किसी विशेष क्षेत्र के कर भुगतान प्रोफाइल की तुलना तत्कालीन उत्पाद शुल्क और सेवा कर व्यवस्था से की जाती है। अब जब जीएसटी प्रणाली स्थिर हो गई है, तो इसे और कारगर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या जीएसटी के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्र करों के अपने हिस्से का भुगतान कर रहे हैं या नहीं।

- कानून या टैरिफ में बदलाव जरुरी होने पर जीएसटी परिषद से ली जाएगी मंजूरी

इं.संजय कुमार जैन बने आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित

इं. संजय कुमार जैन आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए है। इसके पूरी दुनिया में लगभग 58000 सदस्य है। इं. संजय कुमार जैन मेरठ के ही रहने वाले है और मेरठ के ही जीआईसी से इंण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1984 में आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने विभिन्न कम्पनीयों में काम किया। पिछले 21 वर्ष से वह मेरठ में आर्किटेक्चरल एण्ड स्ट्रक्चरल डिजाईनिंग की प्रैक्टिस कर रहे है। जिसकी एक ब्रांच दिल्ली में भी है। इसके आलावा इं. संजय कुमार जैन सामाजिक संस्थाओ से जुड़े हुए है। वर्तमान में मेरठ इंजीनियर्स एसोसिएशन भारत विकास परिषद लॉयन्स क्लब के अध्यक्ष है। वही पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए काफी कार्य किया है। जिसके लिए उन्हें समय- समय पर सम्मानित किया जाता रहा है। मेरठ में समय- समय पर आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई, कमिशनर, डीएम म्यूनिसपल कमिशनर आदि रह चुके है वर्तमान में मेरठ के सीडीओ शशांक चौधरी भी आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई है।

वह मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री की कॉंसिल के सदस्य और मेसोनिक लॉज के भी सदस्य है। चैम्बर के लिए यह अत्यंत ही गौरव का विषय है चैम्बर अपनी ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती है।

यूपी में गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी

यूपी कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग से जुड़ी स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्क्रैप पॉलिसी स्वीकृति मिल गई है इसके तहत 15 साल से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उन्हें अगर कोई स्क्रैप कराएगा तो इस पर 50 फीसद की छूट दी जाएगी। वहीं अगर कोई गाड़ी 20 साल से ऊपर की है तो उसे स्क्रैप कराने के लिए टैक्स और पेनल्टी पर 75 फीसदी की छूट दी जाएगी।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में जो डीजल गाड़ियां 10 साल से अधिक पुरानी है उनके टैक्स और पैनल्टी में 50 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी। वहीं पेट्रोल की गाड़ियां जो 15 साल पुरानी है उन्हें अगर कोई स्क्रैप कराएगा तो उस पर भी छूट दी जाएगी। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे वातावरण में 30 फीसदी प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से होता है। नई गाड़ियां आएंगी तो प्रदूषण नियंत्रित होगा इसके लिए भारत सरकार हमें 300 करोड़ रुपये अलग से देगी।

कैबिनेट मीटिंग में खेल नीति को दी गई मंजूरी खिलाड़ियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

कैबिनेट की बैठक में खेल नीति को मंजूरी दी गई है। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार नई खेल नीति बनी है। इसके तहत खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं जो प्राइवेट एकेडमी है, जो एसोसिएशन है, उनको भी सरकार की तरफ से सहायता देकर खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है।

SAI ELECTRICALS

Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि जैसे गुजरात और हरियाणा में खेल विकास प्राधिकरण का गठन है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में खेल विकास प्राधिकरण का गठन होगा। उसमें ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट होंगे। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आगे कहा कि जरूरत पड़ी तो विदेशों से भी ट्रेनर बुलाकर यहां ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था की गई है। इस नीति से उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को बहुत सुविधा मिलने वाली है साथ ही खिलाड़ियों के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा।

ग्रामीण स्तर पर बनाए जाएंगे स्टेडियम

खेल मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी में गेम के लिए वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर समेत अन्य जगह पर भी मंजूरी मिली है ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा कल्याण विभाग का विकासखंड स्तर पर प्रस्ताव था। जहां ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम नहीं होंगे वहां स्टेडियम बनाएंगे। उसको पीपीपी मॉडल पर सहयोग से बनाया जाएगा अगर जमीन उपलब्ध नहीं होगी, तो जो सरकारी स्कूल होंगे उनकी जमीन पर मिनी स्टेडियम बनाकर खिलाड़ियों को सुविधाएं देंगे बता दे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार खेल नीति को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया गया है जिसके साथ प्रदेश में ही खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिलेंगी।

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास

बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी, ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में मिलेगी सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान 13 प्रस्ताव पास हुए है। एके शर्मा और राकेश सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही कार्यशाला लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी।

वही, यूपी बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी मिली है। 2006 से 31 मार्च 2023 तक के बुनकर लाभान्वित होंगे। बैठक में उद्योग, परिवहन, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन समेत कई विभागों के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की बात सामने आई है।

इन प्रस्तावों मिली मंजूरी

- मुख्यमंत्री पावर लूम व हैंडलूम योजना प्रस्ताव पास।
- 1 अप्रैल से बुनकरों के लिए विधुत खपत पर फ्लैट रेट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। शहरी व ग्रामीण बुनकरों के लिए अलग अलग से फ्लैट रेट तय। बुनकरों से बकाया 2006 के शासनादेश के तहत ही लिया जाएगा।
- अमृत योजना- 2 के अंतर्गत पाइप वाटर प्रोजेक्ट लगाए जाने का प्रस्ताव पास। सरोजिनी नगर वार्ड और इंब्राहिमपुर वार्ड में प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।
- गाज़ियाबाद में सीवेज बनाए जाने और एसटीपी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास ।
- आगरा के कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी को ख़त्म किए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास। गंगा नदी से वाटर सप्लाई की जाएगी।
- आवास विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नए शहर प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव मंजूर।

टेक्सटाइल पार्क से बदल जाएगा कपडा क्षेत्र

कपड़ा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित पीएम मित्र मेगा टेक्साटाइल पार्क योजना और एक अप्रैल से लागू की गई नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) से टेक्सटाइल क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात और रोजगार के तेजी से अवसर पैदा होंगे। केंद्र सरकार ने सात राज्यों- तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले पांच सालों में पीएम मित्र मेगा टेक्साइटल पार्क योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

देश में कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। इस समय कपड़ा उद्योग में करीब 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करीब छह करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त है। टेक्सटाइल सेक्टर को अभी जिस तरह से रणनीतिक रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे कपड़ा उद्योग में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और महिला श्रम शक्ति के साथ-साथ नए कंप्यूटर एआई पेशेवरों के लिए भी रोजगार के और अधिक प्रचुर मौके निर्मित होंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए के पांच एफ (फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्टरी टू फैशन तथा फैशन टू फॉरेन) विजन और प्लग ऐंड प्ले एकीकृत बुनियादी ढांचे की आधुनिक अवधारणा पेश की है। वस्तुतः पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क एक ही स्थल पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई व छपाई से लेकर कपड़ा निर्माण तक एक एकीकृत वस्त्र मूल्य शृंखला का अवसर प्रदान करते हुए दिखाई दे रहा है। प्रत्येक मेगा टेक्सटाइल पार्क से करीब एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे में पीएम मित्र पार्क दुनिया के लिए मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की पहल के बेहतरीन उदाहरण बनेंगे और मेगा टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से घरेलू निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में समान मौके मिलेंगे। ऐसे में भारत का कपड़ा निर्यात जो वर्ष 2021-22 में 44.4 अरब डॉलर रहा है, वह वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पार कर सकता है।

भारत में कपड़ा उद्योग शताब्दियों के समृद्ध इतिहास के साथ देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस समय कपड़ा क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो प्रतिशत से अधिक और मूल्य के संदर्भ में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में करीब सात प्रतिशत योगदान करता है। वर्तमान में भारत दुनिया में कपड़ों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है तथा वैश्विक रेडीमेड गारमेंट बाजार में अपना एकाधिपत्य जमाने को तैयार है।

भारत से होने वाले कुल कपड़ा और परिधान निर्यात में सबसे अधिक करीब 27 प्रतिशत अमेरिका को किया जाता है। इसके बाद करीब 18 प्रतिशत यूरोपीय संघ को, करीब 12 फीसदी बांग्लादेश और करीब छह फीसदी संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया जाता है।

निस्संदेह भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने एक के बाद एक विभिन्न नीतिगत पहलों और योजनाओं को लागू करके प्रभावी कदम उठाए हैं। लेकिन इसके साथ ही कपड़ा क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की भी आवश्यकता है। मसलन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के लिए तरजीही टैरिफ देने के कारण भारत से टेक्सटाइल निर्यात को नुकसान हुआ है। बांग्लादेश चीनी धागों का आयात करता है, उन्हें अपने सस्ते श्रम का इस्तेमाल करके कपड़े बनाता है और बिना किसी आयात शुल्क इस तरह के कपड़े भारत को निर्यात करता है। दुनिया के विभिन्न बाजारों में श्रीलंका और कई अफ्रीकी व अन्य देशों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होती है, उससे भी भारत के टेक्सटाइल विदेशी बाजारों में तुलनात्मक रूप से कम प्रतिस्पर्धी दिखाई देते हैं। **(जयंतीलाल भंडारी)**

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,

Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

ई- श्रम पोर्टल से प्रवासियों के परिवार को भी लाभ

दूसरे राज्यों में कामगारों के बच्चों को शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं का मिल सकेगा फायदा

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए ई- श्रम पोर्टल की उपयोगिता का दायरा बढ़ाते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नई सुविधाएं उसमे जोड़ी है। अब इस पोर्टल का लाभ सिर्फ पंजीकृत 28.87 करोड़ श्रमिकों को ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों को भी मिलेगा। प्रवासी कामगारों के बच्चों को दूसरे राज्य में शिक्षा मिल सके और उनके घर की महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए उनका ब्योरा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और उस डाटा को राज्यों के साथ भी साझा किया जाएगा।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अगस्त, 2021 में ई- श्रम पोर्टल शुरू किया था। उद्देश्य था कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों का आधार से जुड़ा राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाए ताकि इनके द्वारा योजनाएं बनाई जा सकें। पोर्टल पर अब तक 28.87 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हो चुके है। पिछले कई दिनों से मंत्रालय इस दिशा में भी काम कर रहा था कि असंगठित कामगारों में भी खासतौर पर प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को कैसे राज्यों की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इसी प्रयास के तहत ई- श्रम पोर्टल में नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनका शुभारंभ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। मंत्री ने बताया कि ई- श्रम पोर्टल में जोड़ी गई नई सुविधाएं पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाएंगी। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को सरल बनाएंगी। पंजीकृत कामगार अब इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों, कौशल, अप्रेंटसशिप, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल (स्किलिंग) और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकेंगे। साथ ही पोर्टल में प्रवासी कामगारों के परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा भी जोड़ी गई है। इससे प्रवासी कामगारों के बच्चों को शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। संबंधित भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के साथ ई- श्रम पोर्टल पर पंजीकृत निर्माण कामगारों के डाटा को साझा करने की नई सुविधा जोड़ी गई है।

ई- श्रम डाटा साझा करने वाले पोर्टल का भी किया शुभारंभ

भूपेंद्र यादव ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ ई- श्रम डाटा को साझा करने के लिए डाटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी) का भी शुभारंभ किया। इस डाटा शेयरिंग पोर्टल से ई- श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का डाटा राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओ का लाभ उन्हें मिल सके। अभी हाल में मंत्रालय ने ई- श्रम पंजीकरण कराने वाले कामगारों की पहचान करने के लिए ई- श्रम डाटा के साथ विभिन्न योजनाओ के डाटा का मिलान शुरू किया है। मंशा है कि जिन्हे अभी तक योजनाओ का लाभ नहीं मिला है। उन्हें वह दिलाया जा सके। यह डाटा भी राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है। राज्य सरकारें उसके आधार पर कामगारों को चिन्हित कर प्राथमिकता पर उन्हें लाभ दिला सकती है।

- केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ई- श्रम पोर्टल की उपयोगिता का दायरा बढ़ाते हुए नई सुविधाएं जोड़ी
- पंजीकृत कामगार इस पोर्टल से रोजगार के अवसर, कौशल विकास, पेंशन योजना समेत कई सुविधाएं ले सकेंगे।
- 28.87 करोड़ श्रमिक अब तक ई- श्रम पोर्टलपर हो चुके है पंजीकृत।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

एमएसएमई को सरकार ने दी बड़ी राहत

पांच करोड़ तक का ले सकेंगे लोन, कर्ज के बदले लगने वाली फ़ीस में रियायत

एमएसएमई को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत अधिकतम दो करोड़ की जगह पांच करोड़ तक का लोन ले सकेंगे। इस लोन के बदले लगने वाली फीस में भी एमएसएमई को राहत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट कर बताया कि एमएसई क्षेत्र को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, एमएसई में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को और बेहतर नवीन रूप दिया गया है। गारंटी की सीमा को दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया गया है। राणे के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, "यह एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है।" क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए एमएसएमई को अपनी पूरी परियोजना के साथ बैंक से संपर्क करना होता है। फिर बैंक परियोजना के मुताबिक लोन की मंजूरी देता है। लोन की ब्याज दर बैंकों पर निर्भर करती है। इस लोन के बदले उद्यमी को सालाना लोन की फीस देनी पड़ती है जो लोन की रकम का 0.37 फीसद से लेकर 1.35 फीसद तक है। लोन लेने के बदले उद्यमी को कोई गारंटी नहीं देनी होती है या कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है। लोन की गारंटी सरकार लेती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत नए उद्यमी भी लोन ले सकते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम कोरोना काल में आरंभ की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से भिन्न है जो पिछले कई सालों से चल रही है। उद्यमियों ने बताया कि पिछले दो-तीन सालों में औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई है। सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी राहत मिलेगी।

- पीएम मोदी ने कहा, क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के सरकारी प्रयासों का एक हिस्सा
- उद्यमियों ने कहा, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ गई है उत्पादन लागत, सरकार के इस फैसले से मिलेगी राहत

अब तेजी से विकसित होंगी नई टाउनशिप, सस्ते होंगे भवन- भूखंड

वित्तीय संकट से जूझ रहे विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद अब तेजी से नई टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। राज्य सरकार टाउनशिप के लिए भूमि खरीदने में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत प्राधिकरण व परिषद की चार हजार करोड़ रुपये तक की वित्तीय मदद करेगी। सरकार अर्जित भूमि की कुल लागत का 50 प्रतिशत तक की धनराशि सीड कैपिटल के तौर पर प्राधिकरण-परिषद को 20 वर्षों के लिए मुहैया कराएगी। सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता ब्याजरहित होने से प्राधिकरण-परिषद के भवन-भूखंड, फ्लैट आदि को विकसित करने की लागत घटेगी जिससे अब उनकी कीमत भी कम होगी। दरअसल, प्रदेशवासियों को वाजिब दाम पर भवन-भूखंड और फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए आवास विकास परिषद के अलावा 29 विकास प्राधिकरण व चार विशेष क्षेत्र प्राधिकरण तो हैं लेकिन ज्यादातर के पास लैंड बैंक ही नहीं है। भूमि न होने से वे मांग के बावजूद नई टाउनशिप विकसित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बिल्डरों द्वारा बुनियादी सुविधाओं तक का ध्यान न रखते हुए अनियोजित तरीके से आवासीय कालोनियां बनाकर मनमानें दाम पर भवन-भूखंड बेचे जा रहे हैं। अवैध कालोनियों और शहरों के अनियोजित विकास पर अंकुश लगाने के साथ ही योगी सरकार ने अब शहरों के समग्र व समुचित विकास के लिए सभी सुविधाओं वाली सुनियोजित नई टाउनशिप विकसित करने की अहम पहल की है।

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय किया गया। निर्णय के संबंध में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि पहली बार शुरू की जा रही इस योजना के तहत राज्य सरकार विकास प्राधिरणों व परिषद को नई टाउनशिप के विकास या पहले से विकसित टाउनशिप के विस्तारीकरण के लिए तेजी से भूमि अर्जन में सीड कैपिटल के रूप में वित्तीय सहायता देगी। शर्मा के मुताबिक भूमि की कुल लागत का 50 प्रतिशत तक की धनराशि 20 वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकरण-परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी।गौर करने की बात यह है कि ब्याजरहित धनराशि मिलने से प्राधिकरण-परिषद का भूमि अर्जन का खर्चा कम होगा जिससे नई टाउनशिप में भवन-भूखंड व फ्लैट विकसित करने की लागत घटेगी। इससे प्राधिकरण-परिषद के भवन-भूखंड, फ्लैट आदि निजी क्षेत्र की

तुलना में सस्ते होंगे। चूंकि प्राधिकरण-परिषद कीमत तय करने में मनमानी नहीं कर सकते इसलिए बेघरों को प्राधिकरण-परिषद से पक्की छत मिलने का खर्चा भी कम होगा।

निवेश मित्र पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण

पांच से अधिक कर्मचारी संख्या वाले प्रतिष्ठान व कारखानों का संचालन करने वाले प्रबंधको को अपने कारखाने का पंजीकरण हर हाल में निवेश मित्र पोर्टल पर करना होगा। सहायक निदेशक कारखाना ने पंजीकरण के लिए संचालकों को 15 दिनों का समय निर्धारित किया है। सहायक निदेशक कारखाना मेरठ क्षेत्र रवि प्रकाश सिंह ने मेरठ क्षेत्र के जनपद मेरठ व बागपत के ऐसे प्रतिष्ठान और कारखानों के प्रंबधकों को कारखाना नियमावली के अंतर्गत अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण निवेश मित्र पोर्टल पर करना होगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप, आरा मशीन, सर्विस सेंटर आदि प्रतिष्ठान जहां पांच से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें भी अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कराने के लिए प्रतिष्ठान और कारखानों के संचालकों को 15 दिन का समय दिया गया हैं। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद विभाग सर्वेक्षण कर बिना पंजीकरण संचालित प्रतिष्ठान व कारखानों पर कार्रवाई करेगा। अधिकारी ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण करना प्रतिष्ठान संचालकों के हित में होगा। इसलिए सभी को निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण सही सूचना प्रस्तुत कर करा लेना चाहिए।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.
Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

DGFT issues operational guidelines for AA &EPCG holders to apply for amnesty scheme

The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) issued the procedure for applying for amnesty scheme for one-time settlement of default in export obligation by Advance Authorisation (AA) holders and Export Promotion Capital Goods (EPCG) holders.

The directorate general of foreign trade (DGFT), under the ministry, directed the regional authorities to process any such applications within three working days.

In a policy circular, DGFT said, "Application for AA (advance authorisation)/EPCG (export promotion for capital goods) discharge/closure shall be filled online by logging onto the DGFT website and navigating to services."

The government announced the new foreign trade policy (FTP) on March 31. It included an amnesty scheme for exporters for one-time settlement of default in export obligation by the holders of advance and EPCG (export promotion for capital goods) authorisations.

Under the scheme, all pending cases of the default in meeting export obligation (EO) of certain authorisations can be regularised by the authorisation holder on payment of all customs duties that were exempted in proportion to unfulfilled EO and interest at the rate of 100 per cent of such duties exempted.

In another trade notice, the DGFT notified new HSN codes for technical textiles items.

In trade parlance, every product is categorised under an HSN code (Harmonised System of Nomenclature). It helps in systematic classification of goods across the globe.

It said that despite having specific codes for technical textiles, it has been noted that imports/exports have not been booked under correct HS codes and the trade seems to be still being booked under other available codes.

"Accordingly, the matter has been reviewed in consultation with the textiles ministry and it is reiterated that all importers/exporters should file their bill of entry/shipping bill with specific HSN codes available for man-made fibre and technical textiles under and to avoid using any other codes," it said.

A list of 32 codes has been notified to facilitate the industry for easy recognition and helping them to book their import and exports under correct product category.

RBI issues draft guidelines to regulate penal charges on loans

Mumbai, Apr 19 The Reserve Bank of India (RBI) has recently issued a proposed draft for regulated entities to ensure transparency in the disclosure of penal charges and interest rates in loan accounts.

In a move to encourage fair lending practices the circular has been floated to prevent these regulated entities from using penal interest and charges as revenue enhancement tools over and above the contracted rate of interest.

The proposed draft is called “Fair Lending Practice - Penal Charges in Loan Accounts.”

RBI, in its draft circular, said: “Penal charges and interest are essentially negative incentives used by lenders to ensure credit discipline among borrowers and to ensure fair compensation for the lender. However, supervisory reviews have revealed that many regulated entities have been using divergent practices when it comes to charging penal interest and charges, leading to customer grievances and disputes.”

The new rules would be applicable on all banking entities regulated by the RBI, including all commercial banks, co-operative banks, NBFCs, housing finance companies, and All India Financial Institutions like EXIM Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID.

These rules will not apply to credit cards that are covered under product specific directions, the RBI said.

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

“MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD”

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

No. Pension/SupremeCourt/judgement/HPM/2022/Pt Date: 04.05.2023

To,

All Addl. CPFCs, Zonal Offices.
All RPFCs / OICs, Regional Offices.

Subject- 1.16% increased contribution from employer's share into the Pension Fund on salary exceeding Rs. 15,000/- Reg.

Madam/ Sir,

Please refer to the G.O.I Gazette Notification No. S.O. 2061(E) dated 3rd May 2023 (copy attached).

2. Vide above Gazette Notification issued in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 16 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), following have been notified:

(i) In respect of members who have exercised joint option for contributing under the provisions of paragraph 11 of the Employees' Pension Scheme, 1995 and who are found eligible, the employer's contribution shall be nine and forty-ninth per cent. (9.49%) of the basic wages, dearness allowance and retaining allowance of each member by increasing one and sixteenth per cent. (1.16%) from the extant eight and one-third per cent. (8.33%); and

(ii) The increased contribution shall be applicable to basic wages, dearness allowance and retaining allowance to the extent such basic wages, dearness allowance and retaining allowance exceed fifteen thousand rupees per month

3. The above shall be deemed to have come into force on the 1st day of September, 2014.

[This issues with the approval of ACC-HQ (Pension)]

Yours faithfully,

(Aprajita Jaggi)
Regional P.F. Commissioner-I (Pension)

CC:-

1. PS to CPFC.
2. FA & CAO, CVO, Director PDNASS, All ZTIs
3. ACC (HQ) (IS) for information & necessary action.
4. All ACC (HQ)s and ACCs at H.O.
5. Rajbhasha Section for providing Version in Hindi.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245643
CG-DL-E-03052023-245643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1973] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945
No. 1973] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2061(अ).—माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य बनाम सुनील कुमार बी. और अन्य के साथ टैग किए गए अन्य मामलों में वर्ष 2022 की सिविल अपील संख्या 8143-8144 [2019 की एसएलपी(सि) सं. 8658-8659] में तारीख 4 नवंबर, 2022 के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 11 के उप पैरा 4 के उपबंधों के अधीन अतिरिक्त अभिदाय के रूप में सदस्यों की उनके वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से अभिदाय करने की अपेक्षा उस परिमाण तक, जहां ऐसा वेतन प्रतिमास पन्द्रह हजार रुपए से अधिक हो जाता है, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों के अधिकारातीत है ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पूर्वोक्त उल्लिखित भाग के प्रचालन को छह मास की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है तथा प्राधिकारियों को उक्त स्कीम में समायोजन करने का निदेश दिया है ;

और तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेशों का अनुपालन करने के लिए तथा चूंकि कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) में सम्मिलित कर लिया गया है, केंद्रीय सरकार ने उक्त संहिता के सुसंगत उपबंधों को प्रवृत्त करने का विनिश्चय किया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

(i) उन सदस्यों के संबंध में, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 11 के उपबंधों के अधीन अभिदाय करने के संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया है और जिन्हें पात्र पाया गया है, नियोक्ता का अभिदाय, प्रत्येक सदस्य की आधारभूत मजदूरी, महंगाई भत्ते और प्रतिधारण भत्ते का विद्यमान 8.33 प्रतिशत, 1.16 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.49 प्रतिशत हो जाएगा ; और

(ii) बढ़ा हुआ अभिदाय आधारभूत मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा प्रतिधारण भत्ते को उस परिमाण तक, जिस तक आधारभूत मजदूरी, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता पन्द्रह हजार रुपए प्रतिमास से अधिक हो जाता है, के संबंध में लागू होगा।

2. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2014 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. आर-15011/02/2023-एसएस -II]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2061(E).—Whereas the Hon'ble Supreme Court had *vide* its Judgment, dated the 4th November, 2022, in Civil Appeal No. 8143-8144 of 2022 [SLP(C) Nos. 8658-8659 of 2019] in the matter of the Employees' Provident Fund Organisation and others *versus* Sunil Kumar B. and others, along with other tagged matters, held the requirement of the members to contribute at the rate of 1.16 per cent. of their salary to the extent such salary exceeds fifteen thousand rupees per month as an additional contribution under the provisions of sub-paragraph (4) of paragraph 11 of the Employees' Pension Scheme, 1995 to be *ultra vires* the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);

And whereas, the Hon'ble Supreme Court suspended the operation of the aforementioned part of the said Judgment for a period of six months and directed the authorities to make adjustments in the said Scheme;

And whereas, accordingly, to comply with the said directions of the Hon'ble Supreme Court and since the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) has been subsumed in the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government has decided to bring into force the relevant provisions of the said Code;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 16 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

(i) in respect of members who have exercised joint option for contributing under the provisions of paragraph 11 of the Employees' Pension Scheme, 1995 and who are found eligible, the employer's contribution shall be nine and forty-ninth per cent. **(9.49%)** of the basic wages, dearness allowance and retaining allowance of each member by increasing one and sixteenth per cent. **(1.16%)** from the extant eight and one-third per cent. **(8.33%)**; and

(ii) the increased contribution shall be applicable to basic wages, dearness allowance and retaining allowance to the extent such basic wages, dearness allowance and retaining allowance exceed fifteen thousand rupees per month.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of September, 2014.

[F. No. R-15011/02/2023-SS-II]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA

XXXXXXXXXXXX